न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

विद्यापतिनगर थाना काण्ड सं0 156/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 874/2020

29.1.21 आवेदक **1. नागेश्वर सदा,** जो विद्यापतिनगर थाना काण्ड सं0 156/20, धारा–30(a), 37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 28.11.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कर्मवीर कुमार के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनकी ओर से पूर्व में दाखिल ए0बी0पी0 1740/20 खारिज हो चुका है। उसके पश्चात उसकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य, अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन, मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उनका नाम सह अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर इस वाद में आया है। वह न तो घटनास्थल पर पकड़ा गया है और न ही उनके पास से कोई शराब ही बरामद किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उनका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उनके विरूद्व नही बनती है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 28.11.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–30(a), 37(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक को गुप्त सूचना मिली, कि नागेश्वर सदा(आवेदक अभियुक्त) के झोपड़ी वाले घर में देशी महुआ शराब छिपाकर रखा गया है जिसे बेचा जाता है। उक्त सूचना पर सूचक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर छापामारी किया तथा तलाशी के क्रम में उसके घर से कुल 120.00 लीटर महुआ देशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता एवं बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद